P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-2* May- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

भीमराव अम्बेडकर और श्रमिक कल्याण : एक अध्ययन

उतसव आनन्द
सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर, म.प्र.

सारांश

प्रस्तुत शोध अध्ययन में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के श्रम संबंधी विचार विचारों को सम्मलित किया गया है। जो अमेरिका, इग्लैण्ड और जर्मनी के साथ–साथ भारत की तत्कालीन सामाजिक,राजनैतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित थे। अम्बेडकर के श्रम संबंधी विचारों को दो भागों में समझाया गया है। एक–स्वतंत्र मजदूर पार्टी के रूप में और दूसरा–गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी मे श्रम–मंत्री के रूप में। डॉ.अम्बेडकर ने श्रमिक कल्याण के लिए काम के घंटे, योग्य वेतन, सवैधानिक अवकाश, अधिक से अधिक जीवनोपयोगी सुविधाऐं, श्रमिकों को बोनस, पेंशन, स्वैछिक सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले लाभ, श्रमिको को बीमारी, बेकारी, दुर्घटना में, आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सामाजिक बीमा करने की योजना का प्रस्ताव रखा। जो वर्तमान समय में प्रासंगिक है।

मुख्य शब्द : सुसंस्कृत, तकनीकी शिक्षा, मजदूर, श्रमिक वर्ग।

प्रस्तावना

डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता, गरीब वर्गों के उद्धारक, विद्वान एवं महान चिन्तक थे। उन्होंने अपना शैक्षणिक जीवन अर्थशास्त्र के एक विद्यार्थी के रूप में प्रारम्भ किया। सन् 1913 कोलम्बिया विश्वविद्यालय न्यूयार्क, अमेरिका में अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर तथा अक्टूबर 1916 में अर्थशास्त्र के उच्च अध्ययन के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एवं पॉलिटिकल साइन्स, लंदन में प्रवेश लिया। सन् 1915 मे अम्बेडकर ने प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर लेख लिखा, एम.ए. की उपाधि के लिए ''एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड फाइनेन्स ऑफ ईस्ट इण्डिया कम्पनी'' नामक शोध प्रबंध लिखा और पी.एच.डी. के लिए 'नेशनल डिविडेंण्ड ऑफ इण्डिया – ए हिस्टोरिक एण्ड एनेलिटिकल स्टडी' विषय का चयन किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एवं पॉलिटिकल साइन्स, लंदन में जून 1921 में एम.एस.सी. की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध प्रबंध का विषय प्राविंसियल डीसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ इम्पीरियल फाइनेन्स इन ब्रिटिश इण्डिया था। उन्होंने अक्टूबर 1922 में डी.एस.सी. (अर्थशास्त्र) उपाधि के लिए 'द प्रोब्लम ऑफ दी रूपी : इट्स ओरिजन एण्ड इट्स सॉल्यूशन' विषय पर शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य डॉ. अम्बेडकर के अर्थिक विचारों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता एवं आवश्यकता का अध्ययन करना है, जो विचार डॉ. अम्बेडकर ने 19वीं सदी में भारत की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए दिये थे, क्या वे विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है? या समय परिवर्तन के साथ वे अपना महत्व खो चुके है। इसी तारतम्य में डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक एवं सामाजिक विचारों को जानने की इच्छा हुई। कई पुस्तकों का अध्ययन करने के उपरांत मैंने उनके आर्थिक विचारों की उपादेयता को इस शोध के माध्यम से रेखांकित करने का प्रयास किया। अम्बेडकर का आर्थिक चिंतन उद्देश्य पूर्ण था। वह एक विवेकशील व्यक्ति थे। जो तर्क और यथार्थ को चिंतन का आधार मानते थे। उनका चिंतन अनुभवजन्य था।

साहित्यावलोकन

वर्मा, एस.एल., शर्मा, बी.एम. (1995), इसमें भारतीय विचारकों के आर्थिक विचारों का संक्षिप्त में विवेचन किया गया है। इस प्रकार यह पुस्तक विभिन्न भारतीय वेत्ताओं के चिन्तन एवं कृत्यों, राज्य, समाज तथा जनकल्याण से संबंधित मौलिक प्रश्नों तथा उनके समाधानों से सम्बद्ध है।

नागर विष्णुदत्त, कृष्ण बल्लप पं. (1995), प्रस्तुत ग्रंथ में बताया गया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय लाभांश पर एक ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक और व्यापक आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की, साथ ही

भारतीय लोगों की समस्याएँ, राजस्व नीति, गरीबी और असमानता, औद्योगीकरण आदि आर्थिक विचारों की विवेचना पुस्तक में देखने मिलती है।

खिमेसरा, ज्ञानचंद (1995), प्रस्तुत ग्रंथ 'डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक चिंतन' आंकलन की दृष्टि से आर्थिक, सामाजिक आधार प्रस्तुत करता है। यदि महात्मा गांधी, प्लेटो की तरह आदर्शवादी, भावनात्मक चिंतक थे, तो अम्बेडकर कार्ल मार्क्स की तरह व्यवहारवादी चिंतक थे डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक चिंतन पर प्रकाश डालने का प्रयास ग्रंथ में किया गया है।

सिंह, रघुवीर (2007), प्रस्तुत पुस्तक में अम्बेडकरवाद के बहुआयामी व्यक्तित्व को लेकर सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जैसे मानवीय पक्षो की व्याख्या की गई है।

शास्त्री, सोहनलाल (2010), लेखक का डॉ. अम्बेडकर से सन् 1931 में परिचय हुआ और 6 दिसम्बर, 1956 मृत्यु तक बना रहा, पुस्तक में उन प्रसंगो को शामिल किया गया है जो अम्बेडकर की महत्ता, बुद्धिमता, विद्वत्ता, करूणा, जन साधारण के लिए सेवाभाव, आर्थिक जैसे विषय है।

मून, बसंत (2011), भारतीय संविधान के रचियता डॉ. अम्बेडकर एक ऐसे राष्ट्रपुरूष थे जिन्होंने संपूर्ण भारत देश के संबंध में, भारत के इतिहास के संबंध में और भारतीय समाज के बारे में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने डॉ. अम्बेडकर के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की है। लेखक, डॉ. अम्बेडकर की समग्र ग्रंथावली जो महाराष्ट्र शासन की ओर से प्रकाशित हुई, के प्रधान संपादक है।

जाघव,नरेन्द्र (2015), पुस्तक में लेखक ने अम्बेडकर के उन भाषणों को शामिल किया गया है जो सामाजिक न्याय एवं तार्किकता पर आधारित एक नए भारत के निर्माण की बुनियाद रखते है।

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेस, खण्ड–6

इसमें वित्त एवं आर्थिक विषयों पर अम्बेडकर के विचार संकलित है। इसमें 'द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविन्सियन्ड फाइनेन्स इन ब्रिटिश इंडिया'' तथा ''द प्राब्लम ऑफ द रूसी'' को पुर्नमुद्रित किया गया है। साथ ही इसमें कोलम्बिया विश्वविद्यालय में एम.ए. उपाधि के लिए उनके द्वारा लिखे गये अप्रकाशित शोध प्रबंध 'द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेन्स ऑफ द ईस्ट इण्डिया कम्पनी' सहित आर्थिक व वित्तीय विषयों पर उनके अन्य योगदान सन्निहित है।

अध्ययन का उद्देश्य

उक्त चिंतन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है –

1. अम्बेडकर के संघर्ष, त्याग, व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समझना।
2. अम्बेडकर के सामाजिक न्याय और श्रमिक कल्याण सम्बधी आर्थिक विचारों का अध्ययन करना।

उन्होंने देश की आर्थिक समस्याओं **मजदूरी, श्रमिक कल्याण** आर्थिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए और समाधान भी बताया। वह न तो पूंजीवाद के समर्थक थे और न ही समाजवाद के, महात्मा गौतम बुद्ध से प्रभावित होने के कारण वह मध्यममार्गी थे। डॉ. अम्बेडकर के विचार अमेरिका, इग्लैण्ड और जर्मनी के साथ–साथ भारत की तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित थे।

डॉ. अम्बेडकर के श्रम संबंधी विचारों को दो भागों में समझा जा सकता है।

1. स्वतंत्र मजदूर पार्टी के रूप में।
2. गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी मे श्रम–मंत्री के रूप में।

स्वतंत्र मजदूर पार्टी

भारत सन् 1947 में स्वतन्त्र हुआ, पर श्रमिक वर्ग आज भी निर्धनता, निक्षरता, दरिद्रता, अन्याय, अत्याचार, बेगार, बंधुआ श्रम, अनियमित रोजगार, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। उनका जीवन स्तर आज भी निम्नतम श्रेणी का बना हुआ है।

सन् 1935 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। जिसके अनुसार फरवरी 1937 में प्रान्तों मे चुनाव कराना प्रस्तावित हुआ। उस समय अम्बेडकर जी मराठी साप्ताहिक पत्रिका जनता का संपादन करते थे। अतः चुनाव में भाग लेने व श्रमिक वर्ग की समस्याओं के निवारण के लिए उन्होंने 1936 में इन्डिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी (स्वतंत्र मजदूर पार्टी) की स्थापना की। जिसमें सभी वर्गो के मजदूरों को शामिल किया गया। इसकी शाखाएँ मद्रास तथा मध्यप्रदेश में भी खोली गई।

स्वतंत्र मजदूर पार्टी के घोषणा पत्र में निम्नलिखित प्रावधनों का उल्लेख किया गया –

1. श्रमिकों को सुसंस्कृत जीवन को सुसंगत जीवन पद्धति देने का प्रयास करना।
2. औद्योगिक श्रमिकों को नौकरी से निकाला नहीं जाए, उन्हें पदोन्नति मिले, इसके लिए कानून बनाना।
3. जनता की कुशलता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षा का वृहद कार्यक्रम शुरू करना।
4. काम के घंटे, योग्य वेतन, सवैधानिक अवकाश, अधिक से अधिक जीवनोपयोगी सुविधाऐं, श्रमिकों को बोनस, पेंशन,या स्वैछिक सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले लाभ, विषयों पर आवश्यक कानून बनाना।
5. श्रमिकों के लिए स्वच्छ एवं सस्ते निवास स्थान बनाने का काम करना।
6. ग्रामोद्योग का पुर्नजीवन और प्रान्त में उपलब्ध प्राकृतिक संपदा पर आधारित नये उद्योग स्थापित करना।
7. औद्योगिक व्यवसाय पर राज्य की अधिसत्ता और प्रभुता का समर्थन।
8. जिस आर्थिक पद्धति से समाज के श्रमिकों पर अन्याय होता है, उसे समाप्त करने का प्रयास करना।
9. श्रमिको को बीमारी, बेकारी, दुर्घटना में, आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सामाजिक बीमा करने की योजना का प्रस्ताव रखना।
10. श्रमिकों के लिए जो भी योजनाऐं है, वह खेतिहर मजदूरों के लिए भी लागू करना।

11. बेरोजगारी दूर करने के लिए लेण्ड सेटलमेन्ट और सार्वजनिक निर्माण कार्य प्रारंभ करने का कार्य करना।
12. शहरी श्रमिकों एवं मध्यम वर्ग को शहरी क्षेत्र में मकान के कम किराये के बारे में कानून बनाने हेतु कार्य करना।

स्वतंत्र मजदूर पार्टी का कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जारी घोषणा पत्र पर अंग्रेजी समाचार पत्र ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा था कि, ''हमारा मत है कि राजनैतिक पार्टियों की संख्या में वृद्धि नही होनी चाहिए, फिर भी अम्बेडकर के द्वारा स्थापित, नई पार्टी इस प्रान्त का जीवन सुखी,समृद्ध और देश के भविष्य को नई दिशा देने के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ऐसी पार्टी की वर्तमान में आवश्यकता भी है''

बम्बई में स्वतंत्र मजदूर पार्टी 17 उम्मीदवारों में से 15 विजयी हुए, यह स्वतंत्र मजदूर पार्टी की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही। स्वतंत्र मजदूर पार्टी ने श्रम हितों के लिए जो लक्ष्य रखे, उनको समय–समय पर पूरा किया। जैसे–

1. औद्योगिक विवादों के मामले में मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार दिलाया।
2. मिलों में बुनाई विभाग तथा रेलवे के पोर्टर विभाग में कमजोर वर्ग को नौकरी सम्बन्धी कानून पास कराया।
3. बम्बई की सूती मिलों में मशीनों में सुधार तथा कार्य स्थितियों के लिए मिल मालिकों को तकनीकी परिवर्तन का सुझाव दिया।
4. केन्द्रीय तथा रेल्वे सेवाओं में 12.5 प्रतिशत संरक्षण कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को दिया जाने का प्रस्ताव रखा।
5. भूमिहीन मजदूरों, गरीब किसानों और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को दृढ़ता से कांउसिल में रखा।
6. पुराने उद्योगों की पुनर्स्थापना हेतु कार्य करवाया।
7. राजकीय प्रबंधक का सिद्धांत स्वीकार करना, आवश्यकता पड़ने पर उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करवाया।
8. मिल एवं कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की भर्ती, उनको हटाना और उनको पदोन्नति देना, उपयुक्त वेतन देना, कार्य का समय सीमित करना, वेतन सहित अवकाश का प्रावधान आदि के लिए कानून बनाया।
9. सस्ते और सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराए।
10. सभी प्रकार की रूढ़िवादिता, प्रतिक्रियावादिता को दण्डनीय घोषित कराया अन्य ऐसे विषय जो मजदूर संघ एवं किसानों से सीधा संबंध रखते थे।

वह मजदूर संगठन की शक्ति, हड़ताल और प्रदर्शन का मजदूरों की स्थिति के सुधारने में ही उपयोग करना चाहते थे इसलिए उनका प्रसिद्ध नारा था।

''दुनिया के मजदूरों शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो''

गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी मे श्रम–मंत्री के रूप में

02 जुलाई, 1942 को अम्बेडकर को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सम्मलित किया गया। उन्होंने इस पद पर (1942–46) चार वर्ष तक कार्य किया तथा श्रमिक वर्ग की समस्याओं की ओर ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय जनता का ध्यान आकर्षित किया। और **भारत के श्रम विधान** के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारत सरकार द्वारा आयोजित श्रम सम्मेलन में बोलते हुए, भीमराव अम्बेडकर ने तीन मुख्य उद्देश्यों की ओर ध्यान केन्द्रित किया–

1. श्रम कानूनों के निर्माण में एकरूपता की अभिवृद्धि।
2. औद्योगिक झगड़ों के समाधान हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।
3. अखिल भारतीय महत्व के उन तमाम विषयों पर विचार–विमर्श, जो कर्मचारी एवं मालिक के बीच उभरते हैं।

अम्बेडकर ने श्रमिक वर्ग की समस्याओं को बहुत ही नजदीक से देखा था। अतः उन्होंने सर्वप्रथम श्रम कानूनों की निर्माण प्रक्रिया में एकरूपता की आवश्कयता पर अधिक बल दिया ताकि भारत देश की प्रादेशिक विधानसभाएँ स्वायत्तता की आड़ में सामान्य तथा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की अनदेखी न कर सकें।

उन्होंने बम्बई विधानसभा में महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ संबंधी बिल प्रस्तुत करते हुए कहा कि ''यह देश के हित में होगा कि माँ को बच्चे को जन्म देने के पूर्व तथा बाद में कुछ विश्राम मिले।'' उनके अनुसार, इस व्यय का भार सरकार को या नियोजकों को वहन करना चाहिए। जो महिला श्रमिकों को केवल इसलिए काम पर रखते है कि वह सस्ता और लाभदायक है।

माइन्स मेटरनिटी वेनीफिट एक्ट 1941 में श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने दो संशोधन किये। पहला 1945 में, इस संशोधन का उद्देश्य जमीन के अंदर काम करने वाली महिला श्रमिकों के लिए लाभ की अवधि बढ़ाकर 16 सप्ताह करना था, जिसमें 10 सप्ताह प्रसव पूर्व और 6 सप्ताह प्रसव के बाद में। दूसरा अधिकृत अनुस्थिति की अवधि बढ़ाने के साथ ही भुगतान की मात्रा भी बढा दी गई।

11 अप्रैल 1946 को अम्बेडकर ने दि मिनिमम वेजेज बिल विधान सभा में प्रस्तुत किया। इसमें कुछ दशाओं के कुछ उद्योगों में मजदूरी निर्धारण और न्यूनतम मजदूरी संशोधन के लिए एक मशीनरी के गठन का प्रस्ताव रखा गया। जो 1948 में अधिनियम बना।

उन्होंने कारखाना अधिनियम में 3 बार संशोधन किया, जिनमें 2 संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण थे। पहला अप्रैल 1944 में जिसमें वर्ष भर चलने वाले कारखानों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए छुट्टियों का प्रस्ताव किया गया, जो 3 अप्रैल, 1944 से लागू हुआ, इस संशोधन में वयस्कों को 10 दिन के वेतन सहित छुट्टियाँ तथा बाल श्रमिकों के लिए 14 दिन के वेतन सहित छुट्टियाँ उपलब्ध करायी गई। अधिनियम में यह भी प्रावधान रखा गया कि यदि अनिवार्य छुट्टियाँ नहीं है तो क्षतिपूर्ति छुट्टियाँ श्रमिकों को प्राप्त होंगी।

दूसरा वयस्क श्रमिकों के लिए वर्ष भर चलने वाली फैक्ट्री में क्रमशः 8 और 48 (साप्ताहिक) तथा मौसमी फैक्ट्री में क्रमश 10 और 50 घंटे नियत किए गये थे। यदि श्रमिक इससे अधिक घंटे कार्य करता है तो

अतिरिक्त अवधि का ओवर टाइम सामान्य दर से दुगनी दर से भुगतान होगा।

डॉ. अम्बेडकर ने श्रम कल्याण कोष स्थापित करने के लिए भी कानून तैयार करवाए–

1. कोयला खान कल्याण कोष
2. अभ्रक खान कल्याण कोष
3. लौह अयस्क और मैग्नीज कल्याण कोष
4. लाइम स्टोन और डोलामाइट कल्याण कोष
5. बीडी श्रमिक कल्याण कोष

तदनुसार 1 दिसम्बर, 1942 को पाई समिति की पहली बैठक अम्बेडकर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें शासन ने कोयला श्रमिकों के लिए आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षक सुविधाओं के लिए कल्याण कोष की स्थापना का प्रस्ताव रखा।

31 जनवरी 1944 को कोयला खदान कल्याण कोष अध्यादेश जारी किया गया, जिसमें श्रमिकों की कल्याण संबंधी गतिविधियों के लिए कोष की स्थापना हेतु वित व्यवस्था की।

8 अप्रैल 1946 को अभ्रक खान कल्याण कोष से संबंधित एक बिल प्रस्तुत किया गया जिसे 15 अप्रैल 1946 को पारित कर दिया गया। तीन अन्य श्रम कल्याण कोष के लिए एक कोष स्थापित किया गया। इसमें कोयला खदान कल्याण कोष के ही समान सुविधाएं उपलब्ध कराई गयीं।

डॉ. अम्बेडकर ने 'दी इण्डियन माइन्स एक्ट 1923' में श्रम मंत्री के रूप में दो बार संशोधन किए। पहला 1945 में तथा दूसरा फरवरी 1946 में। इन संशोधनों में इस प्रस्तावित किया गया कि–

1. खदान के मालिक, पुरूष और महिला श्रमिकों के लिए अलग–अलग पर्याप्त एवं स्वच्छ स्नानगृहों की सुविधा उपलब्ध कराए। ऐसे स्नानगृह आत्मसम्मान की दृष्टि से अत्यधिक वांछनीय है।
2. खदान मालिकों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया कि जिन स्थापनाओं में महिला श्रमिक कार्यरत है वहां शिशु सदन स्थापित एवं संचालित किए जाए।

इनको 23 जुलाई 1946 से लागू किया गया, जब वह मंत्री मण्डल छोड़ चुके थे।

उन्होंने 8 अप्रैल 1946 को एक बिल ''दी इण्डस्ट्रीयल एम्प्लायमेंट बिल'' प्रस्तुत किया। इस बिल का उद्देश्य था कि नियोजन की शर्ते लिखित हों और दशाएं नियुक्ति अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रमाणीकृत की जाए। किसी संस्थान में नियोजन की शर्ते एवं दशाएं क्या है उन्हें एक रजिस्टर के रूप में रखा जाए। यह बिल 13 अप्रैल, 1946 को पारित किया गया। इसकी सफलता के लिए दिसम्बर 1945 में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त सम्मेलन बम्बई में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि औद्योगिक अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए तीन बातें आवश्यक है–

1. समझौते के लिए एक मशीनरी
2. व्यापार विवाद अधिनियम में संशोधन एवं
3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम।

किसी देश के मानवीय संसाधन अर्थात् जनसंख्या का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जनसंख्या देश की वास्तविक परिसम्पत्ति है। किसी देश का आर्थिक विकास वहां की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जनसंख्या ही श्रम, संगठन और उद्यम का स्रोत है तथा उत्पादन का एक आवश्यक और सक्रिय साधन है। इस संसाधन द्वारा अन्य साधनों को उपयोग में लाया जाता है, नवीन उद्योगों की स्थापना की जाती है तथा उत्पादन में सुधार किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पाद के निर्धारण में जनसंख्या का विशेष महत्व रहता है। जनसंख्या जहां उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है वहीं उत्पादन का उद्देश्य भी हैं। कारण कि, उत्पादन का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की संतृष्टि करना है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क वस्तुओं को छोड़कर मनुष्य जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता हैं वह उत्पादन से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार मनुष्य उत्पादन का साधन और साध्य दोनों है।

उन्होंने भारतीय श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए।

1. मजदूरों की दयनीय कार्य दशा को देखते हुए उनके लिए 8 घंटे का समय तय कराया।
2. महिला मजदूरों के लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था लागू की।
3. नियोजक और श्रमिक अलग–अलग बैठकें करते थे। अम्बेडकर जी ने उन्हें एक साथ बैठने के लिए बाध्य किया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *नागर, विष्णुदत्त एवं कृष्ण वल्लभ, डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक विचार और नीतियां, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1995 ।*
2. *बाबा साहेब, डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्मय, खण्ड–2, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1998 ।*
3. *खिमेशरा, ज्ञानचन्द, डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक चिन्तन, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल,1995।*
4. *शहारे, म.ला., अनिल, बाबा साहेब अम्बेडकर की संघर्ष यात्रा एवं संदेश, सेगमेट बुक, नई दिल्ली, 1993।*
5. *बाबा साहेब, डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्मय, भाग–3, खण्ड–18, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2002।*
6. *बाबा साहेब, डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्मय, खण्ड–18, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2002।*
7. *शास्त्री, सोहनलाल, डॉ. अम्बेडकर के संपर्क में 25 वर्ष, सम्यक प्रकाशन, 32/34 पश्चिम पुरी, नई दिल्ली, 2010।*
8. *बाबा साहेब, डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्मय, भाग–20, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2003 ।*
9. *गोयल, अनुपम, भारतीय आर्थिक समस्यायें एवं नीतियाँ, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कंपनी, खजूरी बाजार, इन्दौर, 2011।*
10. *मून, बसंत, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर, निदेशक नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यशनल एरिया, बसंत कुंज, नई दिल्ली, 2011।*